गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डो पर उपलब्ध यूकेलिप्टिस एवं पॉपलर के पेड़ों का विक्रय :–

निविदा– प्रपत्र

निविदा संख्या .... : निविदा शुल्क ₹ 2000.00 +18% जी0एस0टी0 प्रति निविदा
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय : दिनांक 04.08.2022 से 22.08.2022 सांय 4.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व समय : दिनांक 23.08.2022 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय : दिनांक 23.08.2022 को अपरान्ह् 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के हल्दी एवं बेनी प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डो पर उपलब्ध यूकेलिप्टिस एवं पॉपलर के पेड़ों के विक्रय का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	लॉट संख्या	खण्ड का नाम	प्रजाति	वृक्षों के औसतन माप (ब्यास)	वृक्षों की संख्या	रूपये अंको में	रूपये शब्दो में
1	1	हल्दी एवं बेनी (एन, पी, क्यू, आर, एस, टी)	पॉपलर	0–01	10		
				1–2	166		
				2–3	390		
				3–4	290		
				4–5	94		
				5–6	14		
				9 से ऊपर	01		
				योग–	965		
2	2	बेनी प्रक्षेत्र (एन, पी, क्यू, आर, एस, टी)	यूकेलिप्टिस	5–10	503		
				10–15	1618		
				15–20	1000		
				20–25	339		
				25–30	73		
				30–35	18		
				35–40	05		
				40–45	04		
				45–50	05		
				50–55	03		
				55–60	03		
				60–65	04		
				65–70	01		
				योग–	3576		

क्रमशः..... 02

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ .... बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 दिनांक.................................... के द्वारा संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

बैंक ड्राफ्ट सं0/एफ0डी0आर0 सं0 ....

दिनांक ....

धनराशि ₹ ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम/पिता का नाम ....

ग्राम व पोस्ट ....

तह0.................................... जनपद...

पिन.................................... दूरभाष...

मोबाइल नं0 ....

पैन संख्या ....

बैंक का खाता सं0/शाखा नाम ....

03/8/22

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पन्तनगर फार्म पोस्ट–हल्दी
जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन–263145

वृक्षों की बिक्री की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
2. सील बन्द निविदायें साधारण डाक, पंजीकृत डाक एवं फार्म निदेशालय में रखी गई निविदा पेटी में भी व्यक्तिगत रूप से डाली जा सकती हैं। निविदा पेटी में दिनांक 23.08.2022 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक डाली जा सकती है। डाक में होने वाले बिलम्ब के लिए विश्वविद्यालय फार्म उत्तरदायी नहीं होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 23.08.2022 को अपरान्ह् 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा फार्म निदेशालय सभाकक्ष हल्दी में खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता स्वयं अथवा उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्त निविदा की कुल धनराशि का 3 प्रतिशत् धनराशि की दर से धरोहर राशि (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 (जो विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हल्दी/पन्तनगर पर देय हो) के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत निविदा दरों की 70 प्रतिशत धनराशि पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर अग्रिम भुगतान के रूप में R.T.G.S. अथवा चैक के द्वारा जमा करनी होगी। शेष धनराशि 30 प्रतिशत माल की निकासी करने से पूर्व जमा करनी होगी, अन्यथा माल की निकासी की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. सफल क्रेता को निविदा स्वीकृत होने के 07 दिन में अपने व्यय पर ₹ 100.00 नॉनजुडिशिल स्टॉम्प पेपर पर विश्वविद्यालय फार्म के साथ लिखित अनुबन्ध कराना होगा।
6. वृक्षो के विक्रय मूल्य पर निर्धारित व्यापार कर, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क एवं जी0एस0टी0 इत्यादि क्रेता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभागों में पूर्ण दर पर जमा करना होगा, तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद विश्वविद्यालय फार्म कार्यालय में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि क्रेता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा तथा उक्त शुल्कों के जमा होने के पश्चात् माल निकासी दी जायेगी।
7. वृक्ष जैसा है जहॉ है, के आधार पर लेनी होगी तथा वृक्षो की गुणवत्ता का कोई उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय फार्म का नहीं होगा। अतः निविदादाता निविदा देने से पूर्व मौके पर वृक्षो का भली–भॉति निरीक्षण स्वयं कर लें। निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त वृक्षो में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

क्रमशः 2

8. वृक्षो की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई देय शुल्क आदि की धनराशि क्रेता को स्वयं जमा करनी होगी।

9. क्रेता तथा उसके आदमियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक विश्वविद्यालय तथा फार्म की किसी सम्पत्ति का नुकसान पहुँचाने/असामाजिक कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

10. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति में निहित है।

11. क्रेताओं द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर/Performance-Gaurantee हेतु जमा धनराशि जब्त कर लीं जायेगी।

12. इस विक्रय के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर सोल आर्विट्रेटर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

13. निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर वृक्षों का कटान कर भूमि को समतल करना आवश्यक होगा तथा सुरक्षा धनराशि का भुगतान वृक्षों के गड्ढो का भरान पूर्ण करने के पश्चात् ही किया जायेगा। अन्यथा प्रतिदिन की दर से ₹ 100.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। विलम्ब शुल्क (एक माह तक) के पश्चात् ठेका निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।

14. वृक्षों की कटाई एवं माल निकासी वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के 15 दिन भीतर पूर्ण करनी होगी। वृक्षों का कटान क्रमवार करना होगा। विद्युत लाइनों, आवासो एवं भवनों के निकट स्थित बाधायुक्त वृक्षों के कटान में स्थिति के अनुसार विभागीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

15. प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्षों के जड़ के पास 15x15 सेमी0 का (+) का निशान लगा दिया जायेगा। उक्त प्रकार से चिन्हित धन (+) के वृक्ष ही क्रेता द्वारा काटे जायेंगे तथा वृक्षों की जड़ों का खुदान भी करना अनिवार्य होगा।

16. निविदा की स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

17. क्रेता के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मियों का परिचय–पत्र सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से बनवाना होगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को परिसर/फार्म में अवांछित गतिविधि में संलग्न होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।

3/8/22

मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

निविदादाता के हस्ताक्षर